

**कार्यालय कलोकटर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पद्मेन उप समिति,
छत्तीसगढ़ शासन शाजहन एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

प्रारंभिक अधिकृतमा

कार्यालय / १३१६३ / भू-अर्जन / 2024

कोरबा, दिनांक २० / १२ / २०२४

चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कोलम (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कोलम (7) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अशा आवश्यकता पहुचे की राखावना है वर्त भूमि अर्जन, पूनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपभासा (1) के उपभासों के अनुसार राष्ट्री संवितयों को इस आशय की सूचना ही जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कोलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शनितयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है -
अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	गाम/ प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. मे.)	6	7
कोरबा	दीपका	नगापारा / 52	578	0.065	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.नि. (म./स.) कोरबा रामाग कोरबा	हरदीबाजार-तरदा -सर्वगंगला- इमलीझपर मार्ग ल. 27.19 कि.मी. में रो. सी. मार्ग का निर्माण कार्य।
			585/2	0.057		
			585/3	0.028		
			585/4	0.008		
			580/1	0.036		
			583/2	0.028		
			583/3	0.036		
			580/3	0.004		
			580/8	0.012		
			580/9	0.077		
			580/7	0.085		
			579	0.280		
			574/2	0.206		
			573	0.227		
			586	0.180		
			603	0.180		
			604	0.073		
			605	0.137		
			602/1	0.125		
			609	0.008		
			581	0.011		
			योग 21	1.863		

कमशा.02

Dated

1 / 2 / 1

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा / आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेंगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विरक्तिपन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (ए.)
कटघोरा, जिला-कोरबा (उ.ग.)


(अर्जित वसंत)
कलेक्टर, कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग